संख्या-**204**/2026/792 के-2/22-2-2025-17(1114)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2026

विषयः- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सैन्सरपाल पुत्र श्री गिरवर सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक-01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सैन्सरपाल पुत्र श्री गिरवर सिंह, निवासी- ग्राम भोपा, थाना-भोपा, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। ऋषिपाल फर्जी बीएससी की मार्कसीट बनवा कर नौकरी करता था, जिसकी शिकायत डा0 विनोद राठी द्वारा की गयी। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 11.08.2009 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डा0 विनोद राठी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-15 मुजफ्फरनगर के दण्डादेश दिनांक 21.10.2013 (पताका-**X**) द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 17.06.2022 तक बन्दी की उम्र लगभग 66 वर्ष होने एवं 12 वर्ष, 10 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 05 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी अपराधिक किस्म का व्यक्ति है अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी पुनः करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं के सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सैन्सरपाल (बन्दी संख्या-428/18) पुत्र श्री गिरवर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।